न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर।

अपील संख्या= 8/2006

1- श्रवण ॥ पुत्रगण किशनाराम जाति जाट निवासी ढाणी राजूवाली तन
2- जगु ॥ गोडावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर ।

---अपीलान्टस---

---बनाम---

1- पूर्ण पुत्र किशनाराम
2- काना पुत्र किशनाराम
3- ज्योकोरी स्त्री फूला
4- अमीचन्द पुत्र फूला ॥ जाति जाट निवासीगण ढाणी
5- सुभाष पुत्र फूला ॥ राजूवाली तन गोडावास तहसील
6- उर्मिला पुत्री फूला ॥ नीमकाथाना जिला सीकर ।
7- पालीराम पुत्र कूपा
8- भागाराम पुत्र कूपा
9- घासीराम पुत्र मोहन
10-हवासिंह ॥ पुत्रगण जागीराम जाति जाट निवासी वार्ड नं0-3 नीमकाथाना
11-कमलसिंह ॥ जिला सीकर ।
12- भूमिधारक तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ।

---रेस्पोडेन्टस---

अपील विरूद्व निर्णय एवं डिक्री
दिनांक 22-12-2005 द्वारा उप
खण्ड अधिकारी नीमकाथाना ।

---0---

उपस्थिति-

1- श्री लक्ष्मणसिंह सूण्डा एडवोकेट- अपीलान्ट
2- श्रीप्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/अपीलान्टस् ने योग्य अदालत मातहत में दावा तकास्मा व हुक्मइन्त दवामी का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0-1 से 7 की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी ख0नं0 160 रकबा 0.04 हैक्टर, ख0नं0 162 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं0 163 रकबा 0.68 हैक्टर, ख0नं0 164 रकबा 0.02 हैक्टर, ख0नं0 165 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 166 रकबा 0.05 हैक्टर, ख0नं0 167 रकबा 0.42 हैक्टर, खसरा नं0 168 रकबा 0.66 हैक्टर, ख0नं0 170 रकबा 0.50 हैक्टर, ख0नं0 175 रकबा 0.43 हैक्टर, ख0नं0 176 रकबा 0.20 हैक्टर कुल किता- 11 रकबा 3.16 हैक्टर वाके ग्राम नीमकाथाना मे वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 3 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं0-4 से 6 का 3/8 तथा प्रतिवादी सं0-7 का 1/8 हिस्सा है । इस आराजी के बाबत सन् 1980 में पक्षकारान के मध्य पंच फैसला होकर बंटवारा हुआ जिसमे वादी स0-1 को 4 बीघा कच्ची, प्रतिवादी स0-1 मूला को 2 बीघा 10 बिस्वा कच्ची, वादी सं0-2 को पौने दो बीघा कच्ची जमीन दी तथा शेष जमीन पूरा व काना के हिस्से में आई। इस बाबत लिखा पढी हुई जिस पर पंचों के हस्ताक्षर है । किन्तु प्रतिवादी संख्या-1 से 3 ने अब साजकर पूर्व पंच फसले को नहीं मानकर वादी संख्या-2 के कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी कर ऐन केन प्रकारेण वादी का हेरान परेशान करने पर आमादा है तथा धमकी दी है कि इस आराजी के प्लाट काटेगें । इस कारण यह दावा किया अतः दावा स्वीकार कर पंच फसला के अनुसार बंटवारा किया जावे तथा खाता अलग किया जावे । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादी का दावा स्वीकार कर लिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अदालत मातहत में अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 व 2 का भाई मूला प्रतिवादी संख्या-1 था । जिसका देहान्त हो चुका वह अविवाहित निसन्तान था । मूला के वारिस अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट सं0-1 व 2 है ।उक्त आराजी में अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट संख्या-1, 2 तथा मृत मूला प्रतिवादी संख्या-1 व रेस्पोंडेन्ट संख्या-10 व 11 का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोंडेन्ट संख्या-3 से 9 का है । इसी

अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की गई । किन्तु तहसीलदार ने अपने विभाजन प्रस्ताव में अपीलान्टस् एवं रेस्पोडेन्ट संख्या-1, 2 व मृतक मूला तथा रेस्पोडेन्ट सँख -10 व 11 को हिस्से के अनुसार भूमि न देकर 0.13 हैक्टर भूमि कम दी है । इस बिन्दू पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है । अपीलान्ट ने दिनांक 27-7-2001 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील पेश की थी जिसे अदालत हाजा द्वारा अपील स्वीकार कर पक्षकारान की आपत्तियों स्वीकार कर उन्हे सुनने के उपरान्त अन्तिम डिक्री पारित करने के निर्देश दिये थे किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट की आपत्ति पर कोई गौर न करते हुये आदेश पारित किया जिसमें आराजी ख0नं0 168, 167, 175 कुल किता-3 रकबा 1.51 हैक्टर 0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया है । अपीलान्ट, रेस्पो0 सं0-1 व 2 तथा मृतक मूला व रेस्पोडेन्ट सं0-10 व 11 को उसके 1/2 हिस्से से कम भूमि दी है । बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे मौके के विपरित तैयार किया गया है ।तथा दावे मे चाही गई । सहायता के विपरित आदेश पारित किया है ।जिसमें राजस्थान टीनेन्सी गोरमेन्ट रूल्स व राजस्थान बोर्ड आफ रेवेन्यू 1955 की पालना न कर आदेश पारित किया है। तहसीलदार ने मौके के विभाजन प्रस्ताव रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 9 को फायदा देने के हिसाब से तैयार कर भिजवाये है जिस पर अदालत मातहत ने कोई गौर न कर अपना निर्णय पारित किया है ।जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 9 को उनके हिस्से से अधिक भूमि दी है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट को कम भूमि दिये जाने का आधार भूमि का रकबा बडा होना मानकर दिया है जो गलत है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि आराजी ख0नं0 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167 168, 170, 175, 176 कुल किता-11 रकबा 3.16 हैक्टर में अपीलान्टस्, रेस्पोडेन्ट 1, 2 तथा मृत मूला व रेस्पोडेन्ट संख्या-10 व 11 का 1/2 हिस्सा है तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या-3 से 9 का है । विवादित आराजी के बाबत सन् 1980 में पंचो के सामने बंटवारा किया गया उसी के अनुसार मौके पर काबिज है ।हमने उस पंच फसले के अनुसार ही आराजी का बंटवारा किये जाने के लिये यह दावा पेश किया ।किन्तु अदालत मातहत में बंटवारा प्रस्ताव अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में तैयार किया गया जो मौके के विपरित तैयार किया गया है ।इतना ही नहीं जमाबन्दी में दर्ज हिस्से से कम हिस्सा अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट सं0-1, 2 व 10 11 को दिया गया है जबकि विवादित आराजी मे उसका 1.58 हैक्टर हिस्सा बनता है जबकि अपीलान्टस् को 1.51 हैक्टर भूमि ही दी है । इस बाबात हमने अदालत हाजा में अपील पेश की जिस पर हमारी अपील स्वीकार कर अदालत मातहत को प्रकरण इस निर्देश के साथ वापस भिजवाई गई थी कि आपत्तियों पर सुनवाई कर निर्णय पारित किया जावे किन्तु अदालत मातहत ने अपीलान्ट की आपत्तियों पर कोई विचार न कर निर्णय पारित किया है जो कानून एवं विधि के विपरित है । अत: अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर दावा डिक्री किया जावे ।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में अदालत मातहत के निर्णय को उचित ठहराते हुये कथन किया कि अपीलान्ट ने प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की इस कारण अपीलान्ट की अपील सर्व प्रथम को इसी बिन्दू पर खारिज कर दी जावे । धारा-97 में सीपीसी में स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक डिक्री की अपील नहीं की है तो अन्तिम डिक्री की अपील पोषणीय नहीं है ।प्राथमिक डिक्री सहमति के आधार पर बनाई है ।अपीलान्ट को 1/2 हिस्सा की आराजी बंटवारा में दी गई है । जो जमीन इन्हे कम दी है वह विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट दर्ज किया है कि रेस्पोडेन्ट को जो भूमि अधिक दी है उसका कारण है कि हमे

बारानी व खडडे की होने से अधिक भूमि दी है । मौके पर विभाजन प्रस्ताव मौतबिरान की उपस्थिति में किया गया है ।उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाये गयें है ।अपीलान्ट मौके पर बंटवारा नहीं होना देना चाहते यही इनकी मंशा है । वरना अदालत मातहत ने तहसीलदार के मौका विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तिया लेते हुये उनका निस्तारण कर आदेश पारित किया है जैसा आरआरट टी 2015(2) पेज-1238 में स्पष्ट किया है ।अपीलान्ट का यह कथन भी साबित नहीं हुआ है कि पूर्व में इस आराजी का बंटवारा हुआ हो ।जब पूर्व का बंटवारा साबित नहीं है तो अदालत मातहत ने विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अपना निर्णय पारित किया है। बहस के समर्थन मे आरआरटी 2015(2) पेज 898, आरआरटी 2014(2) पेज 1484 पेश कर अपील खारिज करने का निवदेन किया ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 में विवादित आराजी अपीलान्ट एवं रेस्पो० सं0-1 से 11 की संयुक्त कब्जा काश्त एवं खातेदारी की भूमि है । मौका रिपोर्ट दिनांक 6-6-2001 में वादी/अपीलान्ट ने ख0नं0 168, 167, 175 पर अपना कब्जा बताया है तथा इन खसरा नम्बरों का नाप कर बताने के लिये कहा जिस पर इन खसरा नम्बरों की नाप कर बताया गया ।वादी एवं प्रतिवादी का बँटवारा पूर्व मे होना भी मौका रिपोर्ट में दर्ज किया है ।बंटवारा प्रस्ताव के समय श्रवण, काना पूर्व में उपस्थित बताये तथा हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति आने पर आपत्ति का निस्तारण कर अदालत मातहत ने अपना निर्णय पारित किया है ।निर्णय में रेस्पोडेन्ट को अधिक भूमि दिये जाने का कारण भी दर्ज किया है ।इस प्रकार अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है जो विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीरो से भी स्पष्ट है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी नीमकाथाना का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22-12-2005 को यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 4.6.2018 को सुनाया गया ।

4/6/18